



न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निः - २४१४ - II/१६

प्रकरण क्र. २०१६

अजब सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह, आयु- ३०
वर्ष, व्यवसाय- कृषि, निवासो- गांगे
सरखेडपुर, तहसील- नरवर, जिला- शिवपुरी
(म.प्र.)

.....निगरानीकरण

विरुद्ध-

.....अनावेदकगण

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार गांगे
जिला शिवपुरी.
2. घन सिंह पुत्र श्री राधे कुशवाह, निवासी- गांगे
सरखेडपुर, तहसील- नरवर, जिला- शिवपुरी
(म.प्र.)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक
28-6-2016 प्रकरण क्र. ५९/ २०१५-१६/३ १२ पारित द्वारा तहसीलदार गांगे
नरवर जिला शिवपुरी.

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी-2414-दो/2016

जिला-शिवपुरी

अजब सिंह विरुद्ध मर्यादा प्रदेश शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभावकों आदि के हस्ताक्षर
१५-०५-२०१९	<p>१. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>२. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित ।</p> <p>३. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार नरवर, जिला-शिवपुरी, के प्रकरण क्रमांक ५९/२०१५-१६/अ-१२ में पारित आदेश दिनांक २८-०६-२०१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>४. म.प्र. भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा १२९ में किये गये संशोधन वर्ष २०१८ के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी नरवर, जिला-शिवपुरी को दिये गये हैं ।</p> <p>५. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक १०-०७-२०१९ को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये</p> <p style="text-align: center;">३</p>	<p>(आर.के.जैन)</p> <p>संदर्भ १५१५१९</p>